राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 741/2015/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 742/2015/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 744/2015/भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या – 746/2015/भीलवाड़ा.
5. अपील संख्या – 749/2015/भीलवाड़ा.

मैसर्स बुद्धिप्रकाश पंचोली, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–741/15).
मैसर्स लड्डूराम बाबूलाल, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–742/15).
मैसर्स रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–744/15).
मैसर्स राजेन्द्र सिंह पोखरणा, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–746/15).
मैसर्स गीता कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–749/15).

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी सभी अपीलों में.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा एवं श्री पियूष,
अधिकृत प्रतिनिधिगण .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी (राजस्व) की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/09/2016

निर्णय

1. ये पांचो अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीगण ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 104, 43, 109, 54, व 46/वैट/2014–15/भीलवाड़ा में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के निम्न तालिका में अंकित कर निर्धारण वर्ष के लिये पारित आदेश के विरूद्ध तालिका में अंकित बिन्दु संख्या 6, 7 व 8, जिनके संबंध में अपील अस्वीकार की गई है, को विवादित किया गया है :–

क्र. सं.	कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय प्राधिकारी की अपील संख्या व आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष /आदेश दिनांक	अपीलीय अधिकारी का निर्णय	कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में विवादित बिन्दु		
					अ	ब	स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	741/2015	104/2014–15/ 28.01.2015	2012–13/ 19.09.2014	आंशिक स्वीकार	ई.सी. कार्य में मजदूरी की राशि में कमी रू. 39,507/–	वैट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रूपये 31,927/–	
2.	742/2015	43/2014–15/ 28.01.2015	2009–10/ 02.09.2011	अपील अस्वीकार	ई.सी. कार्य में मजदूरी की राशि में कमी रू 1,22,460/–	ई.सी. कार्य में चुकाये वैट की आई.टी.सी. के समायोजन राशि रू.4,39,954/–	ई.सी. कार्य में वैट 39 का समायोजन राशि रूपये 5,760/–

लगातार................2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	744/2015	109/2014-15/ 28.01.2015	2012-13/ 19.08.2014	अपील आंशिक स्वीकार	वैट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रू. 14,244/-	लेट फीस रूपये 5,000/-	
4.	746/2015	54/2014-15/ 28.01.2015	2012-13/ 06.05.2014	अपील आंशिक स्वीकार	वैट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रू. 7,748/-	ई.सी. कार्य में मजदूरी की राशि में कमी रूपये 8,945/-	लेट फीस रू. 6,000/-
5.	749/2015	46/2014-15/ 28.01.2015	2011-12/ 28.01.2014	अपील अस्वीकार	ई.सी. कार्य में मजदूरी की राशि में कमी रू. 42,096/-	ई.सी. कार्य में चुकाये वैट की आई.टी.सी. के समायोजन राशि रू. 1,88,273/-	

2. इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान ई.सी. से समर्थित एवं बिना ई.सी. समर्थित संविदा कार्य निष्पादित किये गये हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं :-

(i) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा निष्पादित किये गये संविदा कार्यों में मजदूरी की राशि को कम नहीं किया जाकर सम्पूर्ण संविदा राशि पर ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया है।

(ii) संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल की खरीद में लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए 4/12.5 % की दर से वैट का आरोपण किया गया।

(iii) अपीलार्थीगण द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु बजरी व पत्थर की खरीद वैट-39 के जरिये की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट-39 के जरिये चुकाये गये कर को अस्वीकार किया जाकर निर्धारित दर से करारोपण किया गया तथा वैट-39 से चुकाये गये कर का समायोजन नहीं दिया गया।

(iv) अपीलार्थी द्वारा संविदा कार्यों में उपयोग हेतु वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर कर निर्धारण अधिकारी ने लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए करारोपण किया है। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा क्लेम किया गया आई.टी.सी. अस्वीकृत किया गया है।

लगातार.................3

(v) आलौच्य अवधियों के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण किया गया।

5. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी द्वारा मजदूरी राशि व कर चुके माल में वृद्धि के सम्बन्ध में अस्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से श्री एम.पी.शर्मा, कर सलाहकार उपस्थित हुए। बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वैट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग कार्य होने से वेट अधिनियम में 25 / 30 प्रतिशत मजदूरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य थी। इस सन्दर्भ में माननीय न्यायालय का निर्णय भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश किया था, फिर भी हमारी अपीलें खारिज कर दी तथा इस बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने की मांग की।

7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बहस में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **अपील संख्या 338 / 99 व 339 / 99 कर निर्धारण वर्ष 93—94 एवं 94—95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002** का उल्लेख किया गया। इसी क्रम में **मीठालाल ओमप्रकाश बालोतरा** के मामले में दिये गये निर्णय का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

8. अन्य न्यायिक दृष्टान्त **अरविन्द एण्ड कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर बनाम किस्तूरमल गुलाबचन्द** प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सहायक आयुक्त, विशेष वृत, उंदयपुर बनाम मैसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड न्यायिक दृष्टान्त 23 टैक्स अपडेट पेज 22** का उल्लेख लिखित बहस में किया गया।

9. मौखिक बहस के समय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **(1999) 114 एस.टी.सी. 265 गाउंडर एण्ड कम्पनी बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य** की प्रति अपने पक्ष में प्रस्तुत की।

लगातार................4

10. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थीगण ने अग्रिम कथन किया कि उनके द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद वैट–39 के जरिये प्रति ट्रिप के हिसाब से कर अदा किया जाकर माल क्रय किया गया है, जिसका समायोजन मूल कर निर्धारण आदेश में दिया जाना चाहिये था। इसके विपरीत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बजरी व पत्थर पर विहित दर से करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

11. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि कर चुकाकर क्रय किये गये माल में वृद्धि किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। जबकि माल में वृद्धि किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी जारी नहीं किये गये हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

12. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन किया। करमुक्ति का विकल्प लिया जाना एक स्वैच्छिक कृत्य है तथा करमुक्ति का विकल्प लिये जाने के बाद इस हेतु प्राप्तियों पर विहित मुक्ति शुल्क कर दर से मुक्ति शुल्क देयता बनती है, एवं इनपुट टेक्स समायोजन हेतु पात्रता नहीं रखते है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार ई.सी. समर्थित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के **अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉनफेब प्रा0 लि0, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.9.2014** का हवाला देते हुए वैट–39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन को भी अनुज्ञेय नहीं माना गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार................5

14. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005—80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

15. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005—80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं तालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :—

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions,** namely:-

(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

(i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contactor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

लगातार................6

(ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

(iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in excution of the works contract for which exemption certificate has been granted;

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

16. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से भली—भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.—1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :—

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

लगातार.................7

17. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये **"पण्यावर्त"** के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस.टी.सी. 370** को Reproduce किया गया है। इसमें **"पण्यावर्त"** पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। न्यायिक दृष्टान्त **23 टैक्स अपडेट पृष्ठ 22** का निर्णय टर्नओवर टैक्स से सम्बन्धित है। अपीलार्थीगण के प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि के हैं। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं करते हैं।

18. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 29 वी.एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स** में व्यवस्था दी है कि —

> "Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer."**

19. हस्तगत प्रकरणों में आई.टी.सी. क्लेम के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **(1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास** में व्यवस्था दी है कि —

> "The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licencee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. **The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".**

20. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **T. H. Venkate Gowda V. Commissioner of Commercial Taxes in Karnataka, Bangalore** न्यायिक **दृष्टान्त (2007) 5 वी.एस.टी. 553 (कर्नाटक) निर्णय दिनांक 07.07.2006** में निम्न व्यवस्था दी है :—

लगातार.................8

"Held, that an option is available to a dealer in the matter of permission to pay the amount under clause (i) of section 17(6) of the Act. The option saves the contractor from the botheration of book-keeping, assessment, appeals, etc. It provides a ready solution to the contractor. Having opted for section 17(6), it was now not open to the petitioner to bifurcate the contract and the tax thereon for the purpose of payment of tax. The dealer having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, could not be heard to question subsequently the levy of tax by the authorities. The revisional authority after noticing the option under section 17(6) and after noticing the legal error committed by the assessing authority, had rightly chosen to review the assessment order on the ground of prejudice to the Revenue of the State."

21. इसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134** को उद्धरित किया गया है, जिसमें व्यवस्था दी है कि :—

"......The first feature to be noticed is that the alternate method of taxation provided by sub-section (7) of (7A) of section 7 is optional. The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section (5)(1)(iv). Sub-section (8) provides that the option to come under sub-section (7) or (7A) has to be exercised by the contractor 'either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections'. **In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub sections, for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain. Having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, a contractor cannot be heard to question the validity of the relevant sub-sections or the rules... The impugned sub-sections have evolved a convenient, hassle-free and simple method of assessment just as the system of levy**

of entertainment tax on the gross collection capacity of the cinema theatres. By opting to this alternate method, the contractor saves himself the botheration of book-keeping, assessment, appeals and all that it means. It is not necessary to enquire and determine the extent or value of goods which have been transferred in the course of execution of a works contract, the rate applicable to them and so on. For example, under sub-section (7), the contractor pays two per cent of the total value of the contract by way of tax and he is done with all the abovementioned botheration. The rate of two per cent prescribed by sub-section (7) is far lower than the rates in First, econd and Fifth Schedules referred to in section 5(1)(iv)(a). In short, sub-section (7) and (7A) evolve a rough and ready method of assessment of tax and leave it to the contractor either to opt to it or be governed by the normal method. **It is only an alternative method of ascertaining the tax payable, which may be availed of by a contractor if he thinks it advantageous to him... The Constitution does not preclude the Legislature from evolving such alternate, simplified and hassle-free method of assessment of tax payable, making it optional for the assessee. The object of sub-sections (7) and (7A) is the same as that of section 5(1)(iv); it is only that they follow a different route to arrive at the same destination of tax liability which may sometimes be in the interest of both the Revenue and the assessees.** It must also be remembered that in the field of taxation, the Legislature must be allowed greater 'play in the joints', as it is called."

22. उपरोक्त दी गयी व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रश्मन का विकल्प लिये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारीगण प्रश्मन से भिन्न करारोपण के तरीके से करारोपण की मांग करते हुए लेबर राशि को घटाने की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रश्मन राशि सम्पूर्ण प्राप्तियों Total Receipts / Total Turnover पर विहित मुक्ति शुल्क की दर से ही मुक्ति शुल्क राशि देय होगी।

23. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय का undertaking स्वीकार किया है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेगा।

लगातार.............10

24. इसी प्रकार अपीलार्थीगण इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं हैं। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

25. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट–39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉनफेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014** में निम्न निर्णय दिया गया है :–

"10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत् जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तद्संबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरूद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा

लगातार.............11

पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर **उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।''**

26. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा वैट–39 के जरिये चुकाई गई राशि का समायोजन अनुज्ञेय नहीं है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

27. वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने तथा उक्त माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. क्लेम किये जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 37 टैक्स अपडेट 124 मैसर्स सिद्धी विनायक कॉन्ट्रेक्टर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा** में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी से कोई संविदाकर्ता माल क्रय करता है और संविदा कार्य में प्रयुक्त करता है तो ऐसी विक्रय की गई वस्तुओं पर कर भुगतान का दायित्व अधिनियम के तहत क्रेता व्यवहारी संविदाकर्ता पर होगा, क्योंकि उक्त वस्तु का विक्रय 'डीम्ड सेल' की श्रेणी में आता है। ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई वस्तुओं पर वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. देय नहीं होगा। माननीय कर बोर्ड के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह पीठ पूर्णतः सहमत है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

28. अपील संख्या 741, 744 व 746/2015 से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलार्थीगण द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों में क्रय किये गये आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए अन्तर राशि पर किये गये अतिरिक्त करारोपण के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधिगण द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर खरीद राशि में वृद्धि करते हुए करारोपण किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किये जावें।

लगातार.............12

29. अपील संख्या 744/2016 व 746/2015 से सम्बन्धित प्रकरणों में वेट नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण किया गया है, इस सम्बन्ध में नियम 19ए निम्न प्रकार है :–

Rule 19A - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and

(ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

29(a). माननीय उच्चतम न्यायालय के **मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330** के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर लेट फीस जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

29(b). बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना एक चालू रहने वाला व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता हैं, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो लेट फीस के प्रावधान प्रभावी हैं, उस लेट फीस के प्रावधान के अनुसार लेट फीस की राशि Quantify की जावेगी।

29(c). अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव के कारण जमा कराना अधिदेशक है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है जिसका Quantification उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर किया जायेगा। नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह लेटफीस अधिकतम रूपये 50,000/– होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में

लगातार.............13

नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5000/– होगी। हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं मानते हुए लेटफीस का आरोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी विधि अनुसार लेटफीस की पुष्टि की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय **(1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास; स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134** व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय **(2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स** के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी ठेकेदार की सकल संविदा प्राप्तियां/टर्नओवर मुक्ति प्रमाण–पत्र से आच्छादित हैं। इन सकल प्राप्तियों/टर्नओवर पर अपीलार्थी व्यवहारीगण विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन सकल संविदा प्राप्तियों/टर्नओवर में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत हैं।

31. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपील संख्या 742/2015 व 749/2015 बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपील संख्या 741/2015, 744/2015 व 746/2015 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरणों में वेट चुकाकर की गई खरीद राशि में वृद्धि करते हुए किये गये करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जावें। शेष बिन्दुओं पर अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

32. निर्णय सुनाया गया।

08/05/16

(मनोहर पुरी)
सदस्य